

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक-प. 5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट II

जयपुर, दिनांक 12/12/2022

—: परिपत्र :—

विषय :- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के तहत भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के तहत राज्य की विभिन्न सेवाओं के सीधी भर्ती के पदों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है :-

राज्य सेवा	—	5 %
अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा	—	12.5 %
चतुर्थ श्रेणी सेवा	—	15 %


कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 जारी होने से पूर्व भूतपूर्व सैनिक कोटे में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणी (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) में ही समायोजित किया जाता था।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 (संलग्न) द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सेवाओं की सीधी भर्ती में देय क्षैतिज आरक्षण को प्रवर्गवार प्रावधित कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 लागू होने के पश्चात राज्य में सीधी भर्ती के लिए जारी होने वाली विज्ञप्तियों हेतु भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों की गणना प्रवर्गवार करते हुए, अर्थात् विज्ञापित की जायेगी। इस हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार प्रवर्गवार (Category wise) पृथक-पृथक रोस्टर पंजिका संधारित की जावे। इससे संबंधित मॉडल रोस्टर पंजिका का प्रारूप संलग्न है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय


10/12/22

(हेमन्त कुमार गेरा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

12/12/2022

सीधी भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोस्टर पंजिका

1. पदनाम
2. संवर्ग में पदों की संख्या:
3. वर्ग: अ.जा (SC) या अ.ज.जा. (ST) या पि.व. (BC) या अति.पि.व.(MBC) या आ.क.व. (EWS) या अनारक्षित (UR)

भूतपूर्व सैनिक			
रोस्टर संख्या	राज्य सेवा 5%	अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा 12.5%	चतुर्थ श्रेणी सेवा 15%
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			Ex.Serv.-1
8.		Ex.Serv.-1	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			Ex.Serv.-2
15.			
16.		Ex.Serv.-2	
17.			
18.			
19.			
20.	Ex.Serv.-1		Ex.Serv.-3
21.			
22.			
23.			
24.		Ex.Serv.-3	
25.			
26.			
27.			Ex.Serv.-4
28.			
29.			
30.			
31.			
32.		Ex.Serv.-4	

✓

33.			
34.			Ex.Serv.-5
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.	Ex.Serv.-2	Ex.Serv.-5	Ex.Serv.-6
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			Ex.Serv.-7
48.		Ex.Serv.-6	
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			Ex.Serv.-8
55.			
56.		Ex.Serv.-7	
57.			
58.			
59.			
60.	Ex.Serv.-3		Ex.Serv.-9
61.			
62.			
63.			
64.		Ex.Serv.-8	
65.			
66.			
67.			Ex.Serv.-10
68.			
69.			
70.			
71.			
72.		Ex.Serv.-9	
73.			
74.			Ex.Serv.-11
75.			

✓

76.			
77.			
78.			
79.			
80.	Ex.Serv.-4	Ex.Serv.-10	Ex.Serv.-12
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			Ex.Serv.-13
88.		Ex.Serv.-11	
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			Ex.Serv.-14
95.			
96.		Ex.Serv.-12	
97.			
98.			
99.			
100.	Ex.Serv.-5		Ex.Serv.-15

टिप्पणी—

- वर्ग: अ.जा (sc) या अ.ज.जा. (st) या पि.व. (bc) या अति.पि.व.(MBC) या आ.क.व. (EWS) या अनारक्षित (UR) श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए 6 अलग-अलग रोस्टर पंजिकाएं संघारित की जायेगी।
- किसी भी भर्ती में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के विरुद्ध दर्शाया जायेगा।

